

साक्षात्कार सम्बन्धित सूचना

हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष, हमीरपुर

1. हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों के पूर्व सैनिकों/ विकलांग पूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है कि पूर्व जूनियर कमीशंड अधिकारी (JCO) के लिए **जिला सैनिक कल्याण विभाग शिमला**, सैनिक कल्याण विभाग में एक पद कल्याण सयोजक (Welfare Organizer) को भरने हेतु दिनांक **13 मई 2025** को पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष, हमीरपुर में Screening/Document Check निर्धारित किये गये हैं। केवल वही उम्मीदवार पात्र हैं जो अनुसूचित जाति (SC) से सम्बंधित हैं। जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति (SC) और जिला सैनिक कल्याण विभाग शिमला में नौकरी करने हेतु इच्छुक हो अपनी उपस्थिती इस कार्यालय में उपरोक्त दी हुई तिथि को दर्ज करे। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की Cut off Date **30 अप्रैल 2025** निर्धारित की गई है। उपस्थित होने का समय प्रातः 10:00 बजे हैं।
कल्याण सयोजक (Welfare Organizer) पद से संबंधित योग्यता के साथ NCO Code X01.10, X01.20, X01.30, X01.35, X01.40, X01.45, X01.50 और X01.55 का होना अनिवार्य हैं।
2. अनिवार्य योग्यता (Essential qualification):
 - (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से कम से कम मैट्रिकुलेट होना चाहिए या सशस्त्र बलों से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
 - (ख) सेना से JCO रैंक या नौसेना और वायु सेना से इसके समकक्ष रैंक का होना चाहिए।
 - (ग) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए।
3. **कल्याण सयोजक (Welfare Organizer)** पद से सम्बन्धित कार्य को देखते हुए सैनिक कल्याण विभाग मांग पत्र (भर्ती एवं पदोन्नति नियम) के अनुसार उपरोक्त पद के लिए कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट (Practical on Computer) लिया जायेगा।

4. सैनिक कल्याण विभाग में कल्याण सयोजक (Welfare Organizer) के कार्य इस प्रकार से हैं:-

(क) जिले के सभी सेवारत , पूर्व सैनिकों, मृत सैनिकों के आश्रितों और मृत सैनिकों के परिवारों का तहसील/ विकास खंड जनगणना अभिलेख बनाए रखना।

(ख) विशेषकर आपातकाल और शत्रुता के दौरान अपने गांव से दूर तैनात सेवारत सैनिकों के कल्याण के बारे में उनके परिवारों को सूचित करना।

(ग) समय-समय पर घोषित पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास तथा सरकार या अन्य संस्थानों द्वारा उन्हें मिलने वाली रियायतों के संबंध में जानकारी का प्रसार करना।

(घ) पूर्व सैनिकों को पदक वितरित करना।

(ङ) पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों या मृत रक्षा सेवा कर्मियों के मामले में आश्रितों को नियमित रूप से पेंशन प्राप्त करने और इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या का समाधान करना।

(च) पेंशन की मात्रा के संबंध में पारिवारिक विवादों के मामले में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना और इसे संबंधित उप निदेशक सैनिक कल्याण के ध्यान में लाना।

(छ) भूमि विवाद या किसी अन्य विवाद के बारे में जिलाधीश (उपायुक्त) को सूचित करना।

(ज) मोबाइल कैंटीन और मेडिकल चिकित्सा शिविर की यात्रा के संबंध में जानकारी का प्रसार करना।

(झ) अपने क्षेत्र में प्रचलित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना।

(ट) सैनिक विश्राम गृह अथवा सैनिक छात्रालय जैसे भवन के निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को विस्तृत जानकारी देना।

(ठ) अपने क्षेत्र के प्रत्येक पूर्व सैनिक से तीन माह में कम से कम एक बार संपर्क करना।

(ण) पेंशन के मुद्दों के संबंध में विधिवत प्रारूपित और तैयार पत्रों के माध्यम से पेंशन और सैन्य अभिलेख कार्यालय से लिखित रूप से पत्राचार करना, पूर्व सैनिकों और सेवा कर्मियों के कल्याणकारी मुद्दों के संबंध में Part II order आदेशों का प्रकाशन और जिला प्रशासन के साथ पत्राचार करना।

(त) पूर्व सैनिकों/विधवाओं और उनके आश्रितों की ओर से विभिन्न प्रकार के आवेदन/दावों को ऑनलाइन भरने और उनके ऑनलाइन आवेदन/दावों की जांच करने का ज्ञान होना चाहिए।

(थ) जिला स्तर पर पूर्व सैनिकों/विधवाओं और उनके आश्रितों के समारोह (Functions) और रैलियों का आयोजन करना।

5. कल्याण सयोजक (Welfare Organizer) पद के लिए केवल जूनियर कमीशंड अधिकारी (JCO) ही योग्य हैं। अतः जूनियर कमीशंड अधिकारी (JCO) ही पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष, हमीरपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। उपस्थित होने का समय 13 मई 2025 प्रातः 10:30 बजे निर्धारित किया गया है।

6. इससे सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट <http://swd.hp.gov.in/> और सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश Helpline Number 01972-220221 और उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर से 01972-222825 पर संपर्क कर सकते हैं।

7. पात्र पूर्व सैनिकों जूनियर कमीशंड अधिकारी (JCO)को निम्नलिखित दस्तावेज़ लाने होंगे:-

(क) डिस्चार्ज बुक/सैन्य सेवा विवरण।

(ख) शैक्षणिक/व्यावसायिक एवं तकनीकी योग्यता के सभी प्रमाण पत्र।

(ग) विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

(घ) रोजगार कार्यालय द्वारा जारी किया गया एक्स-10 कार्ड जो नियमानुसार नवीकृत (Renewed) किया हो | अगर आपका पंजीकृत व्यक्त (Lapsed) हो चुका होगा तो आपको प्रमाण पत्रों की छानबीन में शामिल नहीं किया जायेगा।

(ङ) हिमाचली मूल प्रमाण-पत्र।

(च) उक्त सभी प्रमाण पत्रों की एक-एक फोटो कापी भी साथ लायें और सभी पेजों पर स्वयं हस्ताक्षर (Self attested) करें और अपने दो मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य है।

(छ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

(ज) शपथपत्र **STAMP PAPER** पर Tehsildar/Sub Divisional Officer (Civil) से हस्ताक्षर करवा के इस कार्यालय को प्रस्तुत करें जिसमें कि आपके द्वारा या आपके किसी आश्रित ने पूर्व सैनिक कोटे के माध्यमों से राज्य सरकार/केन्द्र सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश सरकार से अनुबंध/नियमित रोजगार प्राप्त नहीं किया है। अगर इस में कोई अभ्यार्थी दोषी पाया जाता है तो वह स्वयं जिम्मेवार है। शपथपत्र specimen इस अधिसूचना के साथ Appendix 'A' सलंग है

8. सैनिक रैस्ट हाउस हमीरपुर में ठहरने के लिए इस मोबाइल न० 9877205207 या टेलीफोन न 01972-222334 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

9. अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट <http://swd.hp.gov.in> और सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश Helpline Number 01972-220221 और पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष, हमीरपुर से 01972-222825 पर संपर्क कर सकते हैं।

Sd/x-x-x-x-

उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष
हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर

AFFIDAVIT
(To be submitted by Ex- serviceman)

1. I _____ Army No _____ Rank _____ resident of
Village _____ PO _____ Teh _____ Distt _____ (H.P) do hereby solemnly
declare and affirm that neither myself nor any of my ward (i.e son/ daughter or wife) have been
provided employment against the vacancies reserved for ex-servicemen under the H.P Govt./
Corporation/ Board/Autonomous Body of H.P, as well as Central and other State/Union Territory
Government or Public Sector Undertaking/Autonomous Body/ Banks, etc. under the control of the
said Central or other State/ Union Territory Government.

2. That if my statement found false in future, I shall be solely responsible for legal
action against me.

Dated : _____

Deponent

Place : _____

Tehsildar/ Sub- Divisional Officer (Civil) of the area